

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम टोंक
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम टोंक
 नाम शुभिका देवी बनाम सीतलाम शर्मा
 प्रार्थना पत्र बाजदारी नं 12 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/5/2025	<p>अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 09/2018 निर्णय दिनांक 16.11.2023 संलग्न कर पत्रावली दिनांक 09.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>NSL</i> अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक</p>	
01/5/2025	<p>अभिभाषक प्रार्थी (आ.) अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाइल में न्यायालय हाजा की संबंधित पत्रावली संलग्न की गई। पत्रावली वास्तव में दिनांक 15/5/2025 को पेश हो। 10 सा. अन्य शर्तों में व्यस्त है।</p>	
15/5/2025	<p>अभिभाषक प्रार्थी (आ.) अभिभाषक की बहान सुनी गई। अभिभाषक ने मूल पत्रावली पुनः नम्बर पर लिए जाने का निवेदन किया। न्यायाधीश में प्र. पत्र बाजदारी स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे। प्रार्थना पत्र फंसल शुमार होकर बाज तकमील जाता देखित इफतर की जावे।</p> <p style="text-align: center;"><i>NSL</i> अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक</p>	